



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-22/2023

दिनांक- 18 -जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- तरवां

एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अपराधी के घर कुर्क की नोटिस चस्पा

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश / गिरफ्तारी के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 262/22 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त साहब राज यादव पुत्र सर्वजीत उर्फ रामजीत सा0 हैदराबाद सिसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध आदेश 82 द0प्र0सं0 (कुर्की उदघोषणा) माननीय न्यायालय एन0डी0पी0एस0 एक्ट कोर्ट 07 आजमगढ़ से नियमानुसार प्राप्त किया गया है। इस अभियोग की विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह थाना तरवा आजमगढ़ के द्वारा सम्पादित की जा रही है। आज दिनांक 18.01.23 को मय हमराह का0 रजनीश यादव , हो0गा0 राकेश यति , हो0गा0 बृजेश सिंह के साथ वाछित अभियुक्त साहब राज यादव पुत्र सर्वजीत उर्फ रामजीत सा0 हैदराबाद सिसवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के घर के दरवाजे पर समक्ष गवाहान ग्रामवासी के नियमानुसार अभियुक्त के मकान के दरवाजे पर तथा सर्वविवादित स्थानों पर व्यापक प्रचार- प्रसार के पश्चात नोटिस को चस्पा किया गया ।

थाना अतरौलिया

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 18.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह तथा उ0नि0 रामनिहाल वर्मा मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बूढनपुर अतरौल रोड पर शेरवा पुल के पास अवैध तमंचा लेकर खडा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा शेरवा पुल के पास खडे एक व्यक्ति को घेरकर पकड लिये तथा उसने अपना नाम नीलेश विश्वकर्मा पुत्र संगम विश्वकर्मा निवासी ग्राम जगदीशपुर कादीपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 23 वर्ष बताया। उसके पास से एक अदद तमन्चा देशी .303 बोर नजायज बरामद हुआ। अवैध तमन्चा रखने के सम्बन्ध मे कोई कागजात/अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का दंडनीय अपराध बताते हुए समय 05.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 16/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. नीलेश विश्वकर्मा पुत्र संगम विश्वकर्मा निवासी ग्राम जगदीशपुर कादीपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद

अम्बेडकर नगर उम्र 23 वर्ष

बरामदगी - 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना अतरौलिया आजमगढ़ ।

थाना- मेहनगर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- अधि0 अमित कुमार उर्फ भैया लाल निषाद पुत्र रामबर्धाई उर्फ बैजू सा0 पटना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर एक शातिर किस्म का अपराधी है जिसका एक सक्रिय गैंग है जिसका मुखिया अमित कुमार उर्फ भैया लाल निषाद उपरोक्त स्वयं है। तथा इसके गैंग के सदस्य किशोर कुमार पुत्र परशुराम प्रसाद सा0 बेलहाडीह (लोहासनपुरवा)थाना तरवा जनपद आजमगढ़ ,मनोज कुमार पुत्र हरिप्रसाद सा0 जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद

आजमगढ़, पप्पू राजभर पुत्र झम्मन राजभर सा0 पिपरई थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर व रूदल राम पुत्र शिवमुनी राम सा0 हरिदासपुर काशी थाना, सादियाबाद जनपद गाजीपुर के साथ मिलकर अपने तथा गैंग के साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु भारी मात्रा में शराब की तस्करी करना उक्त गिरोह का यह कृत्य 30 प्र0 गिरोह बन्द अधि0 का धारा 2(ख)की उपधारा 01 व 02 में आच्छादित है। इनके कृत्यों से आम जनता में काफी भय एवं रोष व्याप्त है इस गैंग के भय एवं आतंक से आम जनता का कोई भी व्यक्ति सहज रूप से पुलिस को सूचना देने व मा0 न्यायालय में गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। गैंग लीडर एवं इसके सदस्यों के विरुद्ध थाना मेहनगर में मु0अ0सं0 109/2019 धारा 60/72/63 आबकारी अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें नामजद अभियुक्त हैं। जिससे साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अमित कुमार उर्फ भैयालाल, किशोर कुमार, मनोज कुमार, पप्पू राजभर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 12/2020 दि0 30-01-2020 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है एवं अभियुक्त रूदल राम पुत्र शिवमुनी राम उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 A-12A/2022 दिनांक 07.10.22 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है तथा थाना स्थानीय पर ही मु0अ0सं0 109/2019 धारा 60/72/63 आबकारी अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 अभियोग पंजीकृत किया गया अभियुक्त उपरोक्तगण के पास से 110 बोतल अंग्रेजी हरियाणा निर्मित शराब व 03 जरिकैन में 100 लीटर अपमिश्रित शराब वरामद हुआ। अभियुक्त गण के कृत्य से जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है जिनके विरुद्ध बाद अनुमोदित गैंग चार्ट मु.अ.सं. 395/22 धारा 3(1) 30 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है।

2. **गिरफ्तारी की विवरण** - थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पप्पू राजभर पुत्र झम्मन राजभर सा0 पिपरई थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को कस्बा सिंहपुर से आज दिनांक 18.01.23 को समय 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया।
3. **पंजीकृत अभियोग**- मु.अ.सं. 395/22 धारा 3(1) 30 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मेहनगर, आजमगढ़
4. **आपराधिक इतिहास**- मु0अ0सं0 109/2019 धारा 60/72/63 आबकारी अधि0 व 272/273 भा0द0वि0 थाना मेहनगर, आजमगढ़
5. **गिरफ्तार अभियुक्त** – पप्पू राजभर पुत्र झम्मन राजभर सा0 पिपरई थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
6. **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**- थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना- मेहनगर, आजमगढ़।

थाना- मेहनगर

शांतिर अपराधी असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 17/01/23 को 30 नि सुभाष तिवारी मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान गोवर्धनपुर गाँव की तरफ जाने वाले मार्ग की तरफ से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए भागने का कारण पुछा गया तो अपना नाम ज्ञान यादव पुत्र पारस यादव निवासी ग्राम टोडरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष बताया तथा उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम के अपराध का बोध कराकर समय करीब 16.25 बजे अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 19/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का स्थान– गोवर्धनपुर पुलिस थाना मेहनगर समय 16.25 बजे

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 19/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 895/2007 धारा 356/392 भादवि चिरैयाकोट मऊ
2. मु.अ.सं. 905/2007 धारा 392 भादवि चिरैयाकोट मऊ
3. मु.अ.सं. 936/2007 धारा 307 भादवि चिरैयाकोट मऊ

4. मु.अ.सं. 778/2009 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० भुडकुडा गाजीपुर

5. मु.अ.सं. 21/2020 धारा 136 विद्युत अधि० मेहनगर आजमगढ़

6. मु.अ.सं. 131/2020 धारा 147/148/149/279/337/338 भादवि मेंहनगर आजमगढ़

7. मु.अ.सं. 119/2021 धारा 60 आबकारी अधि० दुल्हपुर गाजीपुर

गिरफ्तार अभियुक्त – ज्ञान यादव पुत्र पारस यादव निवासी ग्राम टोडरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1-एक अदद असलहा 303 बोर व कारतूस 303 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि सुभाष तिवारी मय हमराह कास्टेबल ललित सरोज, थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ।